डीबीएस बैंक इंडिया लि.

डीबीएस जमा नीति

संस्करण: फ़रवरी 2022

1 मार्गदर्शी सिद्धांत

यह दस्तावेज़ बैंक द्वारा दिए जाने वाले विविध जमा (डिपॉज़िट) उत्पादों और उससे संबंधित बैंकिंग सेवाओं के संबंध में निर्देशक सिद्धांतों पर एक अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराता है। दस्तावेज़ जमाकर्ताओं के अधिकारों को मान्यता देता है और ग्राहकों के लाभ के लिए जनता के सदस्यों से जमा की स्वीकृति के विभिन्न पहलुओं, विभिन्न जमा खातों के आचरण और परिचालन, विभिन्न जमा खातों पर ब्याज का भुगतान, जमा खातों को बंद करने, मृत जमाकर्ताओं की जमा राशियों का निपटान करने आदि की विधि के बारे में जानकारी का प्रसार करने का लक्ष्य करता है। इस दस्तावेज़ की मदद से ग्राहकों के साथ व्यवहार करने और ग्राहकों के बीच जागरूकता पैदा करने में अधिक पारदर्शिता आने की उम्मीद है।

इस नीति को अपनाते समय, बैंक भारतीय बैंक संघ की बैंक प्रतिबद्धता संहिता में उल्लिखित ग्राहक के प्रति अपनी हर एक प्रतिबद्धता को दोहराता है।

डीबीएस बैंक इंडिया लि. (डीबीआईएल) डीबीएस बैंक लिमिटेड (डीबीएल) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक (डब्ल्यूओएस) कंपनी है, जिसका मुख्यालय सिंगापुर में है। सर्वोत्तम मानकों को साझा करने के लिए डीबीआईएल जटिल, लंबी अवधि के, बड़े या महत्वपूर्ण लेनदेन करने के दौरान डीबीएल के अनुभव और विशेषज्ञता पर निर्भर करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि समूह के न्यूनतम स्वीकृति मानदंडों को पूरा किया गया है। इसके अलावा डीबीएल, डीबीएल द्वारा निर्धारित कुछ नीतियों और मानकों पर विचार करेगा या उन पर गौर करेगा और यह सुनिश्चित करने हेतु भारतीय विनियमों को अपनाएगा कि परिचालन समूह के न्यूनतम स्वीकृति मानदंडों को पूरा किया जाए।

2 नीति

यह दस्तावेज़ जमाओं (डिपॉज़िट) पर बनाए गए मौजूदा विनियमों पर आधारित है। विभिन्न जमा योजनाओं और संबंधित सेवाओं पर विस्तृत परिचालन दिशानिर्देश समय-समय पर जारी किए जाएंगे।

1. **खाता खोलना-** बैंक अपने ग्राहकों को खाते खोलने के उद्देश्य के आधार पर विभिन्न प्रकार के खातों का विवरण प्रदान करेगा ताकि वे बैंक में खाता खोल सकें। ग्राहक अपनी ज़रूरतों, आवश्यकताओं और लागू दिशा-निर्देशों के अनुसार खाता प्रकार चुन सकते हैं।

बैंक को खाता खोलने से पहले, बैंक की "अपने ग्राहक को जानें" (केवाईसी) नीति के अनुसार दस्तावेज़ और जानकारी की ज़रूरत होगी और जैसा कि आरबीआई द्वारा जारी केवाईसी दिशानिर्देशों और समय-समय पर अन्य नियामक निकायों द्वारा जारी संबंधित दिशानिर्देशों द्वारा निर्धारित किया गया है। बैंक द्वारा अनुसरण की जाने वाली सम्यक उद्यम प्रक्रिया में ग्राहकों की पहचान, पता, पेशे या व्यवसाय की जानकारी और धन के स्रोत को प्रमाणित करने वाले दस्तावेज़ीकरण की जांच शामिल होगी। सम्यक उद्यम प्रक्रिया के भाग के रूप में, बैंक को सभी जमा / खाताधारकों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं की हाल की रंगीन फ़ोटो की ज़रूरत पड़ेगी।

बैंक को पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम) दिशानिर्देशों का पालन करने की भी ज़रूरत है जो भारत सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित किए जाते हैं।

बैंक को ग्राहकों से स्थायी खाता संख्या (पीएएन) या वैकल्पिक रूप से आयकर अधिनियम/नियमों के तहत निर्दिष्ट फ़ॉर्म संख्या 60 या 61 में घोषणापत्र प्राप्त करने की ज़रूरत होगी।

ग्राहकों की जोखिम श्रेणी के आधार पर खातों में केवाईसी विवरण समय-समय पर अपडेट किया जाएगा।

ग्राहक किसी भी प्रश्न के लिए बैंक से संपर्क कर सकते हैं जो उनके पास विभिन्न चैनलों जैसे ग्राहक सेवा नंबर, ईमेल और शाखाओं आदि के माध्यम उपलब्ध है, जो बैंक समय-समय पर उपलब्ध करा सकता है। बैंक यथाशीघ्र प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेगा।

बैंक ग्राहकों को खाता खोलने हेतु पात्र बनाने के लिए खाता खोलने के फ़ॉर्म और अन्य प्रासंगिक दस्तावेज़ उपलब्ध कराएगा। बैंक ग्राहकों को सत्यापन प्रक्रिया के लिए बैंक द्वारा आवश्यक जानकारी का सम्पूर्ण विवरण प्रदान करने के बारे में सूचित करेगा।

ग्राहक ऐप स्टोर से डीबीएस बैंक एप्लिकेशन द्वारा डिजीबैंक डाउनलोड करके और बैंक को बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण प्रदान करके या वीडियो आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया (वी-सीआईपी) के ज़रिये एक डिजिटल बचत बैंक खाता भी खोल सकता है। ग्राहक समय-समय पर बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली अन्य बैंकिंग उत्पाद सेवाओं का भी लाभ उठा सकते हैं और ये डीबीएस मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफ़ॉर्म द्वारा डिजीबैंक पर उपलब्ध हैं।

बैंक मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम (रिकॉर्ड्स का रखरखाव) नियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार सीईआरएसएआई (सीकेवाईसीआर) के साथ नए व्यक्तिगत खातों से संबंधित पीओएऔर पीओआईके साथ ग्राहक केवाईसी डेटा अपलोड करेगा। बैंक सीकेवाईसी संख्या या पीआईडी विवरण के आधार पर सीईआरएसएआई (सीकेवाईसीआर) से पीओएऔर पीओआई के साथ ग्राहक केवाईसी डेटा भी डाउनलोड करेगा।

बैंक अपने विवेकाधिकार पर, किसी भी खाते को खोलने और समय-समय पर बैंक द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों को संशोधित करने का अधिकार रखता है।

2. <u>जमा खातों के प्रकार</u>-बैंक द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले विविध जमा उत्पादों को मुख्य तौर पर निम्नलिखित प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

2.1 *बचत बैंक खाता*- भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर दी गई सूचना के अनुसार पात्र व्यक्ति/व्यक्तियों और कुछ संगठनों/एजेंसियों द्वारा बचत बैंक खाता खोला जा सकता है। इसमें एचयूएफ़ (हिंदू अविभाजित परिवार) भी शामिल हैं जो निवासी/एनआरओ बचत खाता खोल सकते हैं। डीबीआईएल कई प्रकार के बचत खाते उपलब्ध कराता है जिनका विस्तृत विवरण इस दस्तावेज़ में दिया गया है।

प्रचलित बचत खाते की ब्याज दरों को बैंक की वेबसाइट पर अपडेट किया जाएगा। बचत जमा पर ब्याज तिमाही आधार पर क्रेडिट किया जाता है।

व्यक्तिगत खाते ग्राहकों द्वारा अपने नाम (एकल नाम) पर या ग्राहक द्वारा दूसरे लोगों के साथ संयुक्त रूप से (संयुक्त खाता) खोले जा सकते हैं। हालांकि, डिजिटल बचत खाता एक व्यक्ति द्वारा ही खोला जाएगा।

एक से ज़्यादा व्यक्तियों के साथ खोले गए संयुक्त खाते को ग्राहक द्वारा निर्दिष्ट हस्ताक्षर आज्ञा के आधार पर एक व्यक्ति द्वारा या संयुक्त रूप से एक से ज़्यादा व्यक्तियों के द्वारा संचालित किया जा सकता है। खाते के परिचालन के लिए हस्ताक्षर आज्ञा को सभी खाताधारकों की सहमति से संशोधित किया जा सकता है। एनआरआई के करीबी रिश्तेदार को मौजूदा/नए निवासी बैंक खाते में निवासी खाताधारक के साथ संयुक्त धारक के रूप में "दोनों में से कोई एक या उत्तरजीवी" आधार पर शामिल किया जा सकता है, बशर्ते कि लागू नियामक शर्तों को पूरा किया जा रहा हो। एनआरई/ एनआरओ संयुक्त खातों के विषय में, देशी करीबी रिश्तेदार को मौजूदा / नए निवासी बैंक खाते में निवासी के साथ संयुक्त धारक के रूप में "पूर्व या उत्तरजीवी" आधार पर शामिल किया जा सकता है, बशर्ते कि लागू नियामक शर्तों को पूरा किया जा रहा हो। पीआईओ/ओसीआई कार्ड धारक जो एक वित्तीय वर्ष में 182 दिनों या उससे ज़्यादा समय के लिए भारत में रहे हों, वे प्रक्रिया के अनुसार अपेक्षित केवाईसी दस्तावेज़ जमा करके निवासी बचत खाता खोल सकते हैं। ग्राहकों के निवास की स्थिति पर बैंक द्वारा समुचित सावधानी से समय-समय पर जांच की जाएगी।

आधार कार्ड-आधारित डिजिटल खाता बायोमेट्रिक या ओटीपी-आधारित ई-केवाईसी प्रमाणीकरण के माध्यम से खोला जा सकता है बशर्ते की ग्राहक भारत के नागरिक और निवासी हों। इस पर ध्यान दिया जाए कि आधार संख्या ग्राहक द्वारा स्वैच्छिक रूप से दी जाएगी

केवाईसी पर आरबीआईके मास्टर निर्देशों के अनुसार, ओटीपी-आधारित खातों में लेनदेन और शेष राशि की सीमाओं का पालन करना शामिल है; और खाता खोलने के एक वर्ष के भीतर पूर्ण केवाईसीपूरा करना, ऐसा न करने पर खाते बंद कर दिए जाएंगे।

बैंक की केवाईसी नीति और केवाईसी पर आरबीआई के मास्टर निर्देश के अनुसार, बैंक वीडियो आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया के माध्यम से बैंक खाता खोल सकता है या ग्राहक का पुन: केवाईसी कर सकता है या ओटीपी आधारित गैर प्रत्यक्ष खाते को अपग्रेड कर सकता है।

2.1.1 *मूल बचत बैंक जमा खाता (बीएसबीडीए):*

"मूल बचत बैंक जमा खाता" (बीएसबीडीए) का तात्पर्य अधिक वित्तीय समावेशन के लिए खोले गए एक मांग जमा खाता से है। ऐसे खाते अपने ग्राहक को जाने (केवाईसी)/धन शोधन निवारण (एएमएल) मानदंडों पर आरबीआई के निर्देशों के अधीन हैं। यदि ऐसा खाता सरलीकृत केवाईसी मानदंडों या बिना केवाईसी के आधार पर खोला जाता है, तो खाते को अतिरिक्त रूप से एक 'लघु खाता' माना जाएगा।

खाता विशेषताएं - उत्पाद विवरण बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं

- निष्क्रिय बीएसबीडीए खाते के गैर-परिचालन/ एक्टिवेशन के लिए कोई शुल्क नहीं लगाया जाता है

केवाईसी

- बीएसबीडीए खाता समय-समय पर संशोधित बैंक खाते खोलने के लिए केवाईसी /एएमएल पर आरबीआई के निर्देशों के अधीन है।
- बीएसबीडीए खा ता खोलते समय हम सम्पूर्ण केवाईसी दस्तावेज़ प्राप्त करते हैं जैसे कि आधिकारिक वैध दस्तावेज़ (ओवीडी) या डीम्ड ओवीडी जो कि आरबीआई मास्टर निर्देश द्वारा निर्दिष्ट किया गया है।

'लघु खाता'

वह ग्राहक जिसके पास केवाईसी के रूप में कोई आधिकारिक वैध दस्तावेज़ (ओवीडी) नहीं है और वह बैंक खाता खोलना चाहता है, उसे निम्नलिखित के अनुसार एक 'लघु खाता' खोलना होगा:

- बैंक ग्राहक से एक स्व-अभिप्रमाणित फ़ोटोग्राफ़ लेगा
- बैंक शाखा का नामित अधिकारी अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित करता है कि खाता खोलने वाले व्यक्ति ने उसकी उपस्थिति में अपने हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लगाया है।
- लेन-देन की अनुमति देने से पहले, ऐसे खातों में कुल लेन-देन और शेष आवश्यकताओं पर निर्धारित की गई मासिक और वार्षिक सीमा का उल्लंघन नहीं किया जाएगा।
- इन खातों में विदेशी आवक विप्रेषण को अनुमति नहीं दी जाएगी।
- खाता शुरू में बारह महीने की अवधि के लिए परिचालित होगा जिसे आगे बारह महीने की अवधि के लिए बढ़ाया भी जा सकता है, बशर्ते कि खाताधारक इसके लिए आवेदन करता है और खाता खोलने के पहले बारह महीनों के दौरान उक्त खाते के लिए किसी भी ओवीडी के लिए आवेदन करने का प्रमाण प्रस्तुत करता है।

- चौबीस महीनों के बाद छूट के पूरे प्रावधानों पर समीक्षा की जाएगी। अगर चौबीस महीने की अवधि के भीतर ओवीडी सबमिट नहीं किया जाता है, तो खाते को पूर्ण रूप से फ़्रीज़ कर दिया जाएगा और बाद के किसी भी लेनदेन की अनुमति नहीं होगी।

अन्य महत्वपूर्ण बिंदु

- नियामक दिशानिर्देशों के अनुसार, बीएसबीडीए खाता धारक डीबीआईएल में कोई अन्य बचत खाता खोलने के पात्र नहीं हैं
- यदि ग्राहक का डीबीआईएल में कोई अन्य मौजूदा बचत खाता है, तो ग्राहक को बीएसबीडीए खोलने के 30 दिनों के भीतर ऐसे खाते (खातों) को बंद करना पड़ेगा।
- यदि ऐसा खाता ग्राहक द्वारा बीएसबीडीए खोलने के 30 दिनों के भीतर बंद नहीं किया जाता है, तो बैंक अन्य बचत खाते (यदि कोई हो) को नियामक दिशानिर्देशों के तहत बंद करने का अधिकार रखता है।
- एक व्यक्ति केवल एक ही बीएसबीडीए खाता खोल सकता है

2.2 ***चालू खाता***- यह खाता व्यक्तियों, एकल स्वामित्व/साझेदारी फ़र्मों/निजी और सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों/एचयूएफ़/सोसाइटियों/ट्रस्ट आदि द्वारा खोला जा सकता है। चालू खातों में जमा राशि पर कोई ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।

2.3 ***विदेशी मुद्रा खाता*** -आरबीआई द्वारा निर्दिष्ट लेनदेन के लिए निवासी भारतीय ग्राहक द्वारा यह खाता खोला जा सकता है।

2.4 ***विशेष रुपया खाते***-आरबीआई द्वारा निर्दिष्ट निर्धारित नियमों के अनुसार यह खाता भारत के अनिवासी किसी विदेशी व्यक्ति द्वारा खोला जा सकता है।

2.5 ***सावधि जमा खाता*** -यह एक निर्दिष्ट अवधि और राशि के लिए बुक करी गई एकल जमा है। जमा को बचत/चालू खाते से जोड़ा जाएगा या स्टैंडअलोन बुक किया जा सकता है।

सावधि जमा खाता या तो शाखाओं में या ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से डिजिटल रूप से जमा करने का

अनुरोध करके व्यक्तियों/एकल स्वामित्व/साझेदारी फर्मों/ प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड कंपनियों / एचयूएफ़/ सोसाइटी / ट्रस्टआदि द्वारा खोला जा सकता है।
जमा की बुकिंग करते समय ग्राहकों के पास निम्नलिखित को चुनने का विकल्प होगा।

अवधि: न्यूनतम 7 दिनों से शुरू (डिजीबैंक मोबाइल/इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से बुक किए गए जमा के लिए, न्यूनतम टेनर 90 दिन है। कम अवधि के लिए ग्राहक शाखा के माध्यम से जमा बुक कर सकते हैं)
राशि: फ़ॉर्म में उल्लिखित न्यूनतम राशि से शुरू
ब्याज: चक्रवृद्धि ब्याज / साधारण ब्याज / त्रैमासिक पे-आउट या मासिक पे-आउट
परिपक्वता: मूलधन और ब्याज का स्वत: नवीनीकरण (ऑटो रिन्यूअल)/ केवल मूलधन का स्वत: नवीनीकरण और लिंक किए गए बैंक खाते में जमा किया गया ब्याज/ लिंक किए गए खाते में जमा की गई पूरी राशि (मूलधन और ब्याज सहित)/ डिमांड ड्राफ्ट जारी करना/ एनईएफटी/ आरटीजीएस/ आईएमपीएस/ यूपीआई (डिजीबैंक मोबाइल बैंकिंग प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से बुक किए गए सावधि जमा के लिए लागू नहीं है) के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक प्रेषण जारी करना।

उपर्युक्त व्यापक श्रेणियों के अंदर, बैंक विशिष्ट लक्षित ग्राहक खंडों के लिए खास विशेषताओं वाले विविध उत्पाद जैसे गैर-प्रतिदेय जमा, बेंचमार्क लिंक किए गए फ़्लोटिंग दर जमा आदि प्रस्तुत कर सकता है।

2.6 ***आवर्ती जमा*** -यह जमा ऐसे व्यक्ति के लिए है जो प्रतिलाभ की एक निश्चित दर के लिए मासिक रूप से एक विशिष्ट राशि का निवेश करना चाहता हैं। परिपक्वता/पूर्व-क्लोज़र की तिथि पर, ग्राहक को मूलधन के साथ-साथ उस अवधि के दौरान अर्जित ब्याज भी मिलता है।

2.7 ***अनिवासी भारतीयों और पर्सन ऑफ़ इंडियन ओरिजन (पीआईओ) के जमा करने के लिए, बैंक-***
यह अनिवासी (एनआरआई) और पर्सन ऑफ़ इंडियन ओरिजन (पीओआई) को एफ़सीएनआर(बी) जमा, एनआरई जमा और एनआरओ जमा प्रस्तुत करता है।

- एनआरई/ एनआरओ जमाराशियों के लिए, ब्याज दरें तुलनीय घरेलू रुपया सावधि जमाराशियों पर बैंकों द्वारा दी जाने वाली ब्याज दरों से ज़्यादा नहीं होगी।
- बैंक एनआरई बचत जमा के खिलाफ किसी भी तरह के ग्रहणाधिकार को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चिह्नित नहीं करेगा।
- बैंक के कर्मचारी या वरिष्ठ नागरिक (यदि कोई हो) होने के वजह से जमाराशियों पर अतिरिक्त ब्याज दर का लाभ, जैसा कि बैंक द्वारा निर्धारित किया गया है, एनआरई और एनआरओ जमाराशियों के लिए उपलब्ध नहीं होगा।
- यह नीति डीबीएस बैंक इंडिया लि. द्वारा दी जाने वाली जमाराशियों पर ही लागू होती है।

अनुमत डेबिट/क्रेडिट, जमा की अवधि, जमाराशियों की ब्याज दर, समय से पहले निकासी, निवासी की स्थिति में परिवर्तन और खाते के परिचालन, नामांकन सुविधा, मृत खाते के परिचालन आदि - जमा पर ब्याज दर और जमा और खातों पर मास्टर निदेशन, आरबीआई के मास्टर निदेशन में निर्धारित आवश्यकताओं के अनुरूप हैं।

एफ़सीएनआर(बी) योजना के तहत सावधि जमा पर ब्याज दरें केवल निम्नलिखित में से एक या अधिक कारणों से अलग होती हैं:

- जमा की अवधि: एफ़सीएनआर(बी) के तहत सावधि जमा के लिए परिपक्वता काल योजना इस प्रकार है:
    - एक वर्ष और उससे ज़्यादा लेकिन दो वर्ष से कम
    - दो वर्ष और उससे ज़्यादा लेकिन तीन वर्ष से कम

- तीन वर्ष और उससे ज़्यादा लेकिन चार वर्ष से कम
- केवल पांच वर्ष

- जमा का आकार: डीबीएस अपने विवेक पर मुद्रा-वार न्यूनतम मात्रा निर्धारित करता है, जहां पर ब्याज की दरों में अंतर को प्रस्तुत किया जाता है
- एफ़सीएनआर(बी) जमा के लिए ब्याज भुगतानों को दशमलव के दो स्थलों तक पूर्णांकित किया जाता है।

ब्याज दरों के लिए उच्चतम दरें समय-समय पर प्रचलित नियामक दिशानिर्देशों पर आधारित होंगी।

2.8 ***निवासी विदेशी मुद्रा खाता योजना*** –हमेशा के लिए भारत लौट के आने वाले अनिवासी भारतीयों/पीआईओ के लिए आरएफ़सी जमा लागू होते हैं, जिसमें उनकी स्थिति अनिवासी से निवासी में परिवर्तित हो जाती है। बैंक अपने द्वारा स्वीकार किए गए या अपने द्वारा नवीनीकृत धन के जमा पर निवासी विदेशी मुद्रा खाता योजना (यदि पात्र हो) के तहत, आस्ति-देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) द्वारा अनुमोदित जमा पर ब्याज दरों के अनुसार ब्याज का निर्धारण करेगा। अनिवासी विदेशी (एनआरई) खाता और/ या विदेशी मुद्रा अनिवासी बैंक [एफ़सीएनआर(बी)]खाते में शेष राशि को खाताधारक के विकल्प पर आरएफ़सी खाते (यदि पात्र हो) में जमा किया जा सकता है उस स्थिति में जब आवासीय स्थिति अनिवासी भारतीय (एनआरआई) से बदलकर एक भारतीय निवासी हो जाती है।

2.9 ***सावधि जमा पर ओवरड्राफ़्ट/ जमा ऋण*** -ग्राहक आवश्यक सुरक्षा दस्तावेज़ों के निष्पादन पर जमाकर्ता द्वारा विधिवत रूप से मुक्त मीयादी जमा पर ओवरड्राफ़्ट सुविधा/जमा ऋण हेतु अनुरोध कर सकता है। आरओआई, अवधि आदि से संबंधित दिशानिर्देश बैंक द्वारा निर्धारित किए जाएंगे जो समय-समय पर जारी नियामक दिशानिर्देशों और बैंक की जमा नीति के अनुसार होंगे। अगर जमा परिपक्वता काल राशि अर्जित/ डेबिट किए गए ब्याज सहित लिए गए ऋण के तहत दायित्व को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, तो बैंक जमाकर्ता को उचित सूचना देकर जमा और जमा ऋण दोनों को निपटाने और बंद करने के अपने अधिकार का इस्तेमाल कर सकता है।

3. **ब्याज भुगतान**–समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देश के अनुसार बैंक द्वारा निर्दिष्ट दर पर लिंक किए गए बचत / चालू खाते में या ग्राहक द्वारा निर्दिष्ट परिपक्वता निर्देशों के अनुसार ब्याज जमा किया जाएगा। बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए सामान्य दिशानिर्देशों के अनुसार सावधि जमा ब्याज दरें निर्धारित करता है। नियामक द्वारा अनुमत ग्राहक श्रेणियों, जिसमें डीबीएस के कर्मचारी और वरिष्ठ नागरिक शामिल हैं लेकिन सीमित नहीं है, के लिए बैंक समय-समय पर अपने विवेक से, सामान्य बैंक दर से एक प्रतिशत प्रति वर्ष अधिक की दर से अतिरिक्त ब्याज प्रदान करने की अनुमति दे सकता है। यह केवल रैक रेट सावधि जमा और आवर्ती जमाराशियों के लिए लागू होगा।

सावधि जमा पर ब्याज की गिनती तिमाही अंतराल के समय की जाएगी और जमा की अवधि के अनुसार बैंक द्वारा तय की गई दर पर भुगतान किया जाएगा।

मासिक जमा योजना के विषय में, ब्याज की गिनती तिमाही के लिए की जाएगी और बट्टागत मूल्य पर किया जाएगा। ब्याज भुगतान को निकटतम रुपये में पूर्णांकित किया जाता है।

बुकिंग के 7 दिनों के अंदर जमा राशि के समय से पहले बंद होने की स्थिति में कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।

आईबीए ने बैंकिंग अभ्यास के लिए भारतीय बैंक संघ (आईबीए) संहिता जारी किया है ताकि सदस्य बैंक एक-समान रूप से इसे अपना सकें। संहिता का लक्ष्य न्यूनतम मानकों को निर्धारित करके अच्छे बैंकिंग अभ्यासों को बढ़ावा देना है, जिसका सदस्य बैंकों को ग्राहकों के साथ व्यवहार में इस्तेमाल करना चाहिए।

आईबीए ने, घरेलू सावधि जमा पर ब्याज की गणना के उद्देश्य से, निर्धारित किया है कि तीन महीने से कम समय में प्रतिदेय जमा पर या जहां टर्मिनल तिमाही पूरी नहीं है, ब्याज का भुगतान वास्तविक दिनों के अनुपात में किया जाना चाहिए। बैंक जमाराशियों के लिए ऊपर दिए गए ब्याज की गिनती का पालन करता है। उदाहरण: अगर जमा 7 महीने की अवधि के लिए है, तो 2 तिमाहियों के लिए ब्याज का भुगतान किया जाएगा और शेष ब्याज का भुगतान बचे हुए दिनों की संख्या के आधार पर किया जाएगा।

इस गणना के लिए, एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या 366 दिन और अन्य वर्षों में 365 दिन माना जाएगा।

ब्याज राशि/ कर देयता की गिनती करते समय बैंक सभी शाखाओं में धारित सभी एफ़डी को एक सीआईएफ़ के अंतर्गत मानता है।

बैंक हमेशा ग्राहकों से सावधि जमा परिपक्वता काल निर्देश प्राप्त करता है और इसकी अनुपस्थिति या जमा अतिदेय होने की स्थिति में, बचत खाते पर लागू ब्याज दर मौजूदा नियामक दिशानिर्देशों के अनुसार लागू हो जाएगा।

बैंक, भारतीय बैंक संघ द्वारा बताए गए फ़ॉर्मूलेट और संविदा के अनुसार सावधि जमा पर ब्याज की गणना करता है।

"थोक जमा" शब्द का इस्तेमाल एकल रुपया सावधि जमा / एफ़सीएनआर (बी) 2 करोड़ रुपये (विदेशी मुद्रा राशि के बराबर) और उससे ज़्यादा की जमाराशियों के लिए किया जाएगा। बैंक समान परिपक्वता काल की जमाराशियों के लिए 2 करोड़ रुपये और उससे ज़्यादा की थोक जमाराशियों के लिए अलग-अलग ब्याज दरों को प्रस्तुत कर सकता है। 2 करोड़ रुपये से कम की जमाराशियों के लिए, समान परिपक्वता काल की जमाराशियों के लिए समान दर लागू होगी यानी दरों को कार्ड किया जाएगा। रुपया सावधि जमा में घरेलू सावधि जमा के साथ-साथ एनआरओ और एनआरई खातों के तहत सावधि जमा भी शामिल होंगे।

2 करोड़ रुपये से कम जमा के लिए कार्ड दरों की समय-समय पर समीक्षा की जाएगी और अनुमोदन हेतु एएलसीओ से आवश्यक बदलावों की सिफारिश की जाएगी। थोक जमाराशियों के लिए विभेदक दरें आस्ति/देयता आवश्यकताओं के आधार पर तय की जाएंगी और समान राशि और अवधि की जमाराशियों के लिए समान दरें लागू होंगी।

जमाराशियों पर ब्याज दर शाखा परिसर में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित की जाएगी। जमा योजनाओं और अन्य संबंधित सेवाओं के संबंध में बदलाव, यदि कोई हो तो, को भी शाखा परिसर और बैंक की वेबसाइट पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करके सूचित किया जाएगा।

यदि एक एनआरई खाताधारक, भारत लौटने पर, एनआरईसावधि जमा को निवासी विदेशी मुद्रा खाते (आरएफ़सी) में परिवर्तित करने हेतु अनुरोध करता है, तो ब्याज का भुगतान निम्नानुसार किया जाएगा:

i) यदि एनआरई जमा एक वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए नहीं चलता है, तो ब्याज का भुगतान उस दर से किया जाएगा जो आरएफ़सी खातों में रखी गई बचत जमा पर देय दर से ज़्यादा न हो।
ii) अन्य सभी स्थितियों में, अनुबंधित दर पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा।

यदि ऐसा कोई एनआरई जमा न्यूनतम 1 वर्ष की अवधि के लिए नहीं चलता है, तो बैंक अपने विवेक पर, आरएफ़सी खातों में रखी बचत जमा पर देय दर से ज़्यादा दर से ब्याज का भुगतान कर सकता है, बशर्ते इस तरह के परिवर्तन का अनुरोध भारत लौटने पर किसी एनआरई खाताधारक द्वारा किया गया हो।

छुट्टियों के दिनों में परिपक्व होने वाली जमाराशियां अगले कार्य दिवस में स्वतः परिपक्व हो जाएंगी और ग्राहक शुरूआती जमा बुकिंग की दर से अतिरिक्त दिन/ दिनों के लिए ब्याज आय प्राप्त करेगा।

जमा करते समय, ग्राहक जमा खाते को बंद करने या परिपक्वता की तिथि पर आने वाले समय के लिए जमा के नवीनीकरण के संबंध में निर्देश दे सकते हैं।

सावधि जमा पर परिपक्वता निर्देशों के अभाव में, व्यक्तिगत/ एचयूएफ़ / ट्रस्ट/ सोसाइटी के विषय में, डीबीएस बैंक इंडिया लि. जमाकर्ता को परिपक्वता की तारीख के बारे में अग्रिम रूप से सूचना देगा। बैंक जमा को मूल जमा के समान अवधि के लिए प्रचलित ब्याज दर पर नवीनीकृत करेगा। अन्य के लिए, बैंक ग्राहक के बचत/चालू खाते में परिपक्वता राशि को जमा करेगा। उस स्थिति में जब ग्राहक का हमारे बैंक में कोई बचत/ चालू खाता नहीं है, हम परिपक्वता राशि को ग्राहक के कोई अगले निर्देश देने तक अपने पास रखेंगे और इस तरह की अतिदेय जमाराशियों पर ब्याज का भुगतान समय-समय पर विनियमों के अनुसार किया जाएगा।

यदि किसी ग्राहक द्वारा धारित सभी सावधिजमा पर भुगतान /देय कुल ब्याज, आयकर अधिनियम के तहत निर्दिष्ट राशि से ज़्यादा है, तो सीबीडीटी (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार स्रोत पर कर कटौती करना बैंक का सांविधिक दायित्व है। बैंक तिमाही आधार पर कर कटौती के लिए कर कटौती प्रमाणपत्र (टीडीएस प्रमाणपत्र) जारी करेगा। जमाकर्ता, अगर टीडीएस में छूट पाने छूट का हकदार है, तो वह हर वित्तीय वर्ष की शुरुआत में फ़ॉर्म 15G/एच में एक घोषणापत्र जमा कर सकता है। नियमन के अनुसार लागू टीडीएस दरें समय-समय पर लागू होंगी।

एफ़सीएनआर(बी) जमा के लिए ब्याज भुगतान:

(a) योजना के तहत स्वीकृत जमा पर ब्याज की गणना, एक वर्ष में 360 दिन मानकर की जाती है।
(b) ब्याज की गणना और भुगतान 180 दिनों के अंतराल पर और उसके बाद बाकी बचे हुए वास्तविक दिनों के लिए किया जाता है।

बशर्ते कि परिपक्वता काल पर चक्रवृद्धि प्रभाव सहित ब्याज पाने का विकल्प जमाकर्ता निहित करेगा।
यहां बसने लिए भारत लौटने वाले भारतीय राष्ट्रीयता/ पर्सन ऑफ़ इंडियन ओरिजन की एफ़सीएनआर (बी)जमा अनुबंधित ब्याज दर पर परिपक्वता तक जारी रहेंगे, बशर्ते कि:

a) एफ़सीएनआर (बी) जमा पर लागू ब्याज दर जारी रहेगा।
b) इस तरह की जमाराशियों को खाताधारक के भारत लौटने की तिथि से निवासी जमा समझा जाएगा।
c) इस तरह के एफ़सीएनआर (बी)जमा की समयपूर्व निकासी, योजना के दंड संबंधी उपबंध के अधीन होगी।
d) खाताधारक के विकल्प में परिपक्वता पर एफ़सीएनआर (बी) जमा को निवासी रुपया जमा खाते या आरएफ़सी खाते (यदि पात्र हो) में बदल दिया जाएगा।

एफ़सीएनआर (बी) जमा के नवीकरण पर ब्याज की गिनती मौजूदा प्रचलित दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक द्वारा की जाएगी।

4. <u>सावधि जमा की समयपूर्व निकासी</u>-बैंक अपने विवेक पर सावधि जमा की समयपूर्व निकासी की अनुमति देने का अधिकार रखता है। बैंक सावधि जमा की आंशिक निकासी की अनुमति सिर्फ़ तभी देता है जब जमा बचत/चालू खाते से लिंक किसी विशेष योजना के तहत बुक किया जाता है। यदि समय से पहले निकासी की अनुमति है, तो जमा

पर लागू ब्याज और जुर्माने के भुगतान की अनुमति आरबीआई द्वारा निर्धारित मौजूदा शर्तों के साथ-साथ बैंक द्वारा इस संबंध में जारी दिशानिर्देशों के अनुसार दी जानी चाहिए और यह दिशानिर्देश बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध होने और समय-समय पर अपडेट किए जाने चाहिए।

बैंक, सभी जमाकर्ताओं द्वारा लिखित/ऑनलाइन अनुरोध किए जाने पर, निवासी/एनआरओ सावधि जमा और एनआरई/एफ़सीएनआर जमाराशियों केउनकी परिपक्वता तिथि से पहले निकासी की अनुमति देगा।

- समय से पहले आहरित निवासी/एनआरओ मीयादी जमाराशियों पर ब्याज का भुगतान उस अवधि के लिए किया जाएगा जब ऐसी जमाराशि जमा करने के समय प्रचलित दर पर या अनुबंधित दर, जो भी कम हो, पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा, जैसा कि समय-समय पर बैंक द्वारा निर्धारित दंड शुल्क की कटौती के अधीन है।
- एनआरई/एफ़सीएनआर जमाराशियों के समयपूर्व निकासी पर ब्याज का भुगतान केवल तभी किया जाएगा जब समयपूर्व निकासी एक वर्ष बाद की जाए। यह देखते हुए कि इस तरह के जमा रखने की अवधि के लिए, ऐसी जमा रखने की तारीख पर लागू दर या अनुबंधित दर, जो भी कम होगी, बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित दंडात्मक दरों की कटौती के अधीन होगी।
- एफ़सीएनआर के लिए समयपूर्व निकासी के कारण होने वाली विनिमय हानि, यदि कोई हो, ग्राहक द्वारा वहन की जाएगी।
- यदि सावधि जमा की बुकिंग से 7 दिन के अंदर,समयपूर्व निकासी / बंद कर दी जाती है तो ब्याज का कोई भी भुगतान नहीं किया जाएगा।

दंडात्मक शुल्क की यह संरचना (समय-समय पर बैंक द्वारा निर्धारित) निम्नलिखित के लिए लागू है:

- व्यक्तिगत और गैर-व्यक्तिगत जमा
- किसी भी राशि काएफ़सीएनआर जमा।

दंडात्मक शुल्क संरचना और राशि में किसी भी प्रकार का बदलाव देश की प्रबंधकीय समिति / एएलसीओ की स्वीकृति के अधीन होगा।

निवासी विदेशी मुद्रा (आरएफ़सी) खाते में परिवर्तित होने के लिए एनआरई सावधि जमा (एफ़सीएनआर सहित) के समयपूर्व निकासी के मामले में, बैंक समयपूर्व निकासी के लिए किसी भी प्रकार का कोई जुर्माना नहीं लगाएगा।

बैंक अपने विवेक पर, एफ़सीएनआर जमा की समयपूर्व निकासी पर अतिरिक्त अदला-बदली शुल्क लगा सकता है। यदि पूर्व में भुगतान किया गया ब्याज की राशि देय राशि से अधिक होती है तो अतिरिक्त ब्याज की वसूली जमा से की जाएगी। हालांकि, जमा करने या नवीनीकरण की तिथि से 1 (एक) वर्ष पूरा होने से पहले के एनआरई/एफ़सीएनआर जमा के समयपूर्व निकासी के मामले में किसी भी ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा। हालांकि, बैंक अपने विवेक पर, व्यक्तियों, निकायों और अविभाजित हिन्दू परिवारों की बड़ी जमाराशियों (2 करोड़ और इससे अधिक) के समयपूर्व निकासी पर, राशि जमा करने के समय लागू नियम और शर्तों के अनुसार, रोक लगा सकता है।

ऐसे दंडात्मक शुल्कों से छूट आवश्यक स्वीकृतियों के अधीन होगी।

ऐसे जमाकर्ता जिनकी मृत्यु हो चुकी है या संयुक्त खाताधारकों के दावेदारों के अनुरोध पर सावधि जमा राशि का बंटवारा किए जाने की स्थिति में, जमा की समयपूर्व निकासी के लिए कोई दंड नहीं लगाया जाएगा यदि जमा की अवधि और कुल राशि में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होता है।

5. कर बचत जमा

- किसी भी मूल्यवर्ग की सावधि जमा पावती की परिपक्वता अवधि प्राप्ति की तिथि से शुरू होते हुए पांच वर्ष होगी।
- प्राप्ति की तिथि से पांच वर्ष पूर्ण होने से पहले किसी भी सावधि जमा का नगदीकरण नहीं किया जा सकेगा
- कर बचत जमा के एवज में कोई भी ऋण प्रदान नहीं किया जाएगा।

हालांकि, संयुक्त धारकों जैसे कि जमा के मामले में प्रथम धारक की मृत्यु होने पर, जमाराशि का अन्य धारक, शाखा को जमाराशि के प्रथम धारक की मृत्यु के प्रमाण देते हुए, एक अनुरोध करके, सावधि जमा का उसकी परिपक्वता से पूर्व ही नगदीकरण करा सकता है।

6. नाबालिग खाता –नाबालिग के नाम पर एक खाता, स्वाभाविक या कानूनी रूप से वैध अभिभावक द्वारा खोला और संचालित किया जा सकता है, जैसा कि खाता खोलने के समय निर्देशित किया गया हो।

नाबालिगों को, यदि वे इच्छुक हों, 10 वर्ष की आयु पूरी होने पर और पढ़ने और लिखने में सक्षम होने पर, स्वतंत्र रूप से खाता खोलने की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन उन्हें कोई चेक बुक जारी नहीं की जाएगी। नेट-बैंकिंग (गैर-वित्तीय लेन-देन) और एटीएम संचालन सहित डेबिट कार्ड जारी करने (नकदी निकासी, शेष राशि की पूछताछ और संक्षिप्त विवरण) की अनुमति दी जा सकती है। नाबालिगों को ओवरड्राफ़्ट या ऋण/अग्रिम भुगतान की सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी। जन्मज अभिभावकों वाले नाबालिगों के खातों की जमा, सरकार/आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रतिबंध के अधीन रहेगी।

हालांकि, नाबालिगों के वयस्क होने पर, अभिभावक को वयस्क होने वाले नाबालिग के साथ निकटतम शाखा में जाना होगा और नाबालिग के खाते के रूपांतरण के लिए पहचान संबंधी आवश्यक दस्तावेज़ और नई तस्वीर तथा हस्ताक्षर के नमूने सहित पते का प्रमाण आदि प्रदान करने होंगे। ग्राहकों के लिए इस बात पर ध्यान देना आवश्यक है कि उपरोक्त का पालन न करने के कारण ऐसे नाबालिग खातों का संचालन बैंक अपने विवेकानुसार कर सकता है।

यदि नाबालिग के खाते का संचालन अभिभावक द्वारा किया जाता है तो नाबालिग के वयस्क होने पर अभिभावक का खाते को संचालित करने का अधिकार समाप्त हो जाएगा। खाते में मौजूद कोई भी शेष राशि उस नाबालिग की अनन्य संपत्ति मानी जाएगी जो वयस्कता प्राप्त कर चुका है; और प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद भविष्य में खाते से की जाने वाली निकासी की अनुमति केवल पूर्व नाबालिग को होगी।

7. अशिक्षित/ दृष्टि बाधित व्यक्ति का खाता– बैंक अशिक्षित व्यक्ति के लिए चालू खाते के अलावा जमा खाता खोल सकता है। ऐसे व्यक्ति का खाता खोला जा सकता है बशर्ते वह व्यक्तिगत रूप एक गवाह के साथ बैंक में आए, जिससे जमाकर्ता और बैंक दोनों परिचित हों। आमतौर पर, ऐसे बचत खातों के लिए चेक बुक की सुविधा प्रदान नहीं की जाती है। निकासी/जमा और/या ब्याज की निकासी/पुनर्भुगतान के समय, खाताधारक को अपने अंगूठे का निशान या चिह्न प्राधिकृत अधिकारी की उपस्थिति में लगाना होगा जिसे व्यक्ति की पहचान को सत्यापित करना होगा।

बैंक अधिकारी अशिक्षित/दृष्टि बाधित व्यक्ति को खाते को नियंत्रित करने वाले नियम और शर्तें समझाएगा।

बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि खाता खोलने की सभी औपचारिकताएं बैंक के परिसर में पूरी की जाएं और किसी भी दस्तावेज़ को बाहर ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जहां इस नियम का अपवाद करना आवश्यक होगा, वहां बैंक विवरणों का सत्यापन करने और फ़ोटो और अन्य दस्तावेज़ों के साथ विधिवत भरे हुए खाता खोलने के फ़ॉर्म को प्राप्त करने के लिए एक अधिकृत अधिकारी को नियुक्त करेगा।

8. वृद्ध और दिव्यांग व्यक्तियों या ऑटिज्म, सेरिब्रल पाल्सी, मानसिक रूप से कमजोर, मानसिक रोग और मानसिक विकलांगताओं के कारण अक्षम व्यक्ति द्वारा खातों का संचालन-

8.1 ***बीमार / वृद्ध / विकलांग गैर-पेंशन खाताधारकों के लिए सुविधा***–बीमार / वृद्ध / विकलांग खाताधारकों के मामले निम्नलिखित वर्गों के अंतर्गत आते हैं:

- वह खाताधारक जो इतना बीमार हो कि चेक पर हस्ताक्षर न कर सके / अपने बैंक खाते से राशि की निकासी के लिए बैंक में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित न हो सके लेकिन चेक / निकासी फ़ॉर्म पर अपने अंगूठे का निशान लगा सकता/सकती हो;
- वह खाताधारक जो न केवल बैंक में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने में अक्षम हो बल्कि किसी विशेष शारीरिक अक्षमता के कारण यहां तक कि चेक/निकासी फ़ॉर्म पर अपने अंगूठे का निशान लगाने में भी अक्षम हो।

8.2 ***संचालन प्रक्रिया***– वृद्ध/बीमार खाताधारकों को अपने बैंक खाते संचालित करने में सक्षम बनाने की दृष्टि से, बैंक नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन कर सकता है:-

- जब भी बीमार/वृद्ध/दिव्यांग खाताधारक के अंगूठे या पैर के अंगूठे का निशान लिया जाए, उसकी पहचान दो स्वतंत्र गवाहों, जिनसे बैंक परिचित हो, के द्वारा की जानी चाहिए, जिनमें से एक बैंक का ज़िम्मेदार अधिकारी होना चाहिए।
- जिस स्थिति में ग्राहक अपने अंगूठे का निशान लगाने में भी अक्षम हो और बैंक में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित न हो सकता हो तो चेक या निकासी फ़ॉर्म पर निशान लिया जा सकता है जिसकी पहचान दो स्वतंत्र गवाहों द्वारा की जानी चाहिए, जिनमें से एक बैंक का ज़िम्मेदार अधिकारी होना चाहिए।
- ग्राहक को बैंक को यह बताने के लिए भी कहा जा सकता है कि चेक/निकासी फ़ॉर्म के आधार पर बैंक से राशि की निकासी कौन करेगा और उस व्यक्ति की पहचान दो स्वतंत्र गवाहों द्वारा की जानी चाहिए। जो व्यक्ति बैंक से धन निकालेगा उसे बैंक को अपना हस्ताक्षर प्रस्तुत करने के लिए कहा जाना चाहिए।

8.3 ऐसे व्यक्ति के लिए बैंक खाता खोलने/संचालित करने के उद्देश्य से, जो ऑटिज़्म, सेरिब्रल पाल्सी, मानसिक रूप से कमजोर, मानसिक रोग या मानसिक अक्षमताओं के कारण अक्षम हो, बैंक जिला अदालतों और जिले के कलेक्टरों द्वारा, मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 के तहत जारी आदेश / प्रमाणपत्र और/या ऑटिज़्म, सेरिब्रल पाल्सी, मानसिक रूप से कमजोर, और बहु-दिव्यांगताओं से ग्रसित व्यक्तियों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 के तहत दिव्यांग व्यक्तियों के लिए स्थानीय स्तर की समितियों द्वारा अभिभावक की नियुक्ति को स्वीकार करेंगे, जो व्यक्ति और अक्षम व्यक्ति की संपत्ति की देखभाल करेगा।

9. जमा खातों का संचालन

9.1 ***धारकों को जोड़ना / हटाना***– सभी संयुक्त खाताधारकों के अनुरोध पर बैंक संयुक्त खाताधारकों के नाम को जोड़ने / हटाने की अनुमति दे सकता है यदि यह परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक हो, या किसी व्यक्तिगत जमाकर्ता को किसी दूसरे व्यक्ति का नाम एक संयुक्त खाताधारक के तौर पर जोड़ने की अनुमति दे सकता है। हालांकि, नाम जोड़ने/हटाने के बाद मूल खाताधारकों में से एक का नाम बरकरार रहना चाहिए।

9.2 ***आदेश***– जमाकर्ता के विशिष्ट अनुरोध पर, बैंक ग्राहक द्वारा दिए गए खाते के संचालन से संबंधित आदेश को दर्ज कर सकता है, जो किसी दूसरे व्यक्ति को उसकी ओर से खाते के संचालन के लिए अधिकृत करता हो।

9.3 ***न्यूनतम शेष राशि / सेवा शुल्क–*** जमा राशि से संबंधित उत्पाद जैसे बचत खाते और चालू खाते के लिए, बैंक ऐसे खातों के संचालन को नियंत्रित करने वाले नियमों और शर्तों के हिस्से के तौर पर, कुछ न्यूनतम शेष राशि खाते में बनाए रखने के लिए निर्धारित कर सकता है। खाते में न्यूनतम राशि बनाए रखने में असफल रहने पर बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए जाने वाले शुल्क वसूले जा सकते हैं जो मौजूदा नियामक दिशानिर्देशों के अनुसार होंगे। बैंक किसी भी खाते पर एक निश्चित अवधि के लिए लेन-देन की संख्या, नकद निकासी आदि पर प्रतिबंध भी लगा सकता है। इसी प्रकार, बैंक चेक बुक जारी करने, खातों के अतिरिक्त विवरण, अतिरिक्त पासबुक, फ़ोलियो शुल्क आदि के लिए शुल्क अथवा प्रभार निर्धारित कर सकता है। ऐसे सभी विवरणों, खातों के संचालन के लिए नियम और शर्तों और प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं के लिए शुल्क सारणी की सूचना खाता खोलते समय संभावित जमाकर्ता को दी जाएगी। ये शुल्क समय-समय पर बदल सकते हैं और बैंक द्वारा अपने विवेकानुसार ग्राहक को वेबसाइट या संचार के अन्य चैनलों के माध्यम से सूचना दी जाएगी।

9.4 ***नकद निकासी पर टीडीएस–*** आयकर अधिनियम की धारा 194एन के अंतर्गत टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) समय-समय पर जारी सीबीडीटी (केंद्रीय प्रत्यक्ष कराधान बोर्ड) दिशानिर्देशों के अनुसार बचत / चालू खाते से नकद निकासी पर लागू होगा।

9.5 ***मूल्यन तिथि अंकन***- नए / नवीनीकृत जमाराशि के मूल्य के तिथि अंकन में बैंक की प्रक्रिया और स्वीकृति मैट्रिक्स के अनुसार वर्तमान प्रचालन का पालन किया जाएगा।

10. **कर देयता**- ग्राहक किसी भी वस्तु और सेवा कर या इसी प्रकार के किसी अन्य कर के लिए उत्तरदायी होगा जो कानून द्वारा देय है और समय-समय पर लागू किया गया है। यदि कानून द्वारा बैंक के लिए इस तरह के कर के संबंध में संगृहीत करना और भुगतान करना अनिवार्य किया जाता है, तो ग्राहक ऐसे भुगतानों के लिए बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा।

11. **नामांकन सुविधा–** व्यक्तियों द्वारा खोले गए सभी जमा खातों पर नामांकन सुविधा उपलब्ध होती है। नामांकन एकल स्वामित्व वाले प्रतिष्ठान खाते के लिए भी उपलब्ध होता है। प्रत्येक खाते में केवल एक व्यक्ति के पक्ष में नामांकन किया जा सकता है। नामांकन को खाताधारक द्वारा किसी भी समय रद्द किया या बदला जा सकता है। सभी खाताधारकों की सहमति से नामांकन में परिवर्तन किया जा सकता है।अंगूठे के निशान को दो गवाहों द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए। हस्ताक्षर के लिए किसी गवाह की आवश्यकता नहीं होती। एक नाबालिग के पक्ष में भी नामांकन किया जा सकता है बशर्ते एक अभिभावक निर्दिष्ट किया गया हो। बैंक का यह सुझाव होता है कि सभी जमाकर्ताओं को नामांकन सुविधा का लाभ उठाना चाहिए। जमाकर्ता की मृत्यु की स्थिति में नामांकित व्यक्ति को कानूनी उत्तराधिकारियों के ट्रस्टी के रूप में खाते की बकाया राशि प्राप्त होगी। संयुक्त खातों के मामले में, सभी जमाकर्ताओं की मृत्यु के बाद ही नामांकित व्यक्ति का अधिकार उत्पन्न होता है। जमा खाता खोलते समय जमाकर्ता को नामांकन सुविधा के लाभों के बारे में सूचित किया जाएगा। एफ़डी एडवाइस, स्टेटमेंट और पासबुक पर नॉमिनी चुनने के लिए हाँ या नहीं के विकल्प प्रदान किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, ग्राहक के पास एफ़डी एडवाइस, स्टेटमेंट और पासबुक पर नामांकित नाम को मुद्रित करवाने का विकल्प भी होता है।

12. **खाता विवरण और पासबुक**- बैंक हर महीने बचत खाते के साथ-साथ चालू खाते के ग्राहकों को खाते का विवरण प्रदान करेगा। इसके बारे में ग्राहक को खाता खोलते समय बताया जाएगा। खाते के विवरण में उस अवधि के दौरान खाते में किए गए सभी लेनदेन की जानकारी शामिल होगी। ग्राहकों को खाते के मासिक विवरण मुफ़्त में उपलब्ध कराए जाएंगे। यदि ग्राहक चाहें तो बैंक बचत बैंक खाताधारकों को पासबुक जारी कर सकता है। खाते की गतिविधियों से अवगत रहने के लिए, पासबुक को नियमित रूप से अपडेट करते रहना ग्राहक की

ज़िम्मेदारी है।

13. **<u>खाते का हस्तांतरण</u>**– खातों को देश की किसी भी शाखा से संचालित किया जा सकता है। हालांकि, यदि ग्राहक को आवश्यकता हो तो वह बैंक की किसी भी शाखा या सेवा इकाई से खाते के हस्तांतरण से जुड़ा विवरण और प्रक्रिया प्राप्त कर सकता है।

14. **<u>मृत / गुमशुदा व्यक्ति के खाते का संचालन</u>**– जैसा कि आरबीआई द्वारा निर्देशित किया गया है, बैंक ने यह सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियाओं को अपनाया है कि मृत जमाकर्ताओं के मामले में दावों का निपटान जितना हो सके उतना सरल बनाया जाए। अधिक जानकारी के लिए डीबीएस की दावा निपटान नीति देखें।

15. **<u>गुमशुदा व्यक्ति के संदर्भ में दावों का निपटान</u>**- बैंक ने गुमशुदा व्यक्ति के संबंध में दावों के निपटान के लिए प्रक्रिया अपनाई है, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 107/108 के प्रावधानों के अधीन होगी। अधिनियम के अनुसार व्यक्ति को उसके लापता होने की सूचना दिए जाने की तिथि से सात वर्ष पूरे हो जाने के बाद ही मृत माना जा सकता है। अधिक विवरण के लिए कृपया डीबीएस की निपटान और दावा नीति देखें।

16. **<u>अदावी जमाराशि</u>**- किसी खाते (एसबी/सीए/एफडी/पीपीआई) को अदावी जमाराशियों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा यदि संचालन की पिछली तिथि से या एफ़डी की परिपक्वता की तिथि से 10 साल या उससे अधिक के लिए खाते से ग्राहक द्वारा कोई लेनदेन न किया गया हो और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 26ए के दिशानिर्देशों के अनुसार राशि को 10 साल की उक्त अवधि की समाप्ति से 3 महीने की अवधि के अंदर, जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष (डीईएएफ़ फ़ंड) में जमा कर दिया जाएगा।

16.1 ***दस्तावेज़ीकरण और आवधिक समीक्षा***- निधि में राशि हस्तांतरित किए जाने की तिथि पर, बैंक को समवर्ती लेखा परीक्षकों द्वारा सत्यापित ग्राहक-वार विवरण बनाए रखना चाहिए, जिसमें अर्जित ब्याज का भुगतान भी शामिल हो। निधि में हस्तांतरित गैर-ब्याज वाले जमा और अन्य ऋणों के संबंध में, ग्राहक-वार विवरण, विधिवत लेखापरीक्षित, बैंक में बरकरार रखी जानी चाहिए। समवर्ती लेखा परीक्षकों को यह भी सत्यापित और प्रमाणित करना चाहिए कि, बैंकों की पुस्तकों के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत मासिक और वार्षिक रिटर्न में बैंक द्वारा रिटर्न सही ढंग से संकलित किया गया है। उपरोक्त रिटर्न को वार्षिक लेखा परीक्षा के समय सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा भी सत्यापित किया जाएगा और सांविधिक लेखापरीक्षकों से एक वार्षिक प्रमाणपत्र प्राप्त किया जाएगा और यह प्रमाणित करते हुए कि बैंक द्वारा रिटर्न को सही ढंग से संकलित किया गया है, भारतीय रिज़र्व बैंक को अग्रेषित किया जाएगा।

16.2 ***शिकायत निवारण तंत्र***- जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि योजना, 2014 - बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 26ए पर आरबीआई के परिपत्र के अनुसार, बैंकों को वेबसाइट पर दस साल या उससे अधिक समय के लिए अदावी जमा/निष्क्रिय खातों की सूची प्रदर्शित करनी चाहिए। बैंक की एक शिकायत निवारण नीति है, जो हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित होती है और शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए एस्केलेशन मैट्रिक्स के साथ सभी भारतीय शाखाओं में उपलब्ध है।

16.3 ***ग्राहक द्वारा किया गया दावा***– ग्राहक उस शाखा में जा सकता है जहां खाता है। संबंधित दस्तावेज़ी साक्ष्य, वैध पहचान प्रमाण जमाराशि के विवरण सहित आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाने आवश्यक हैं। कानूनी वारिस / नामांकित व्यक्ति द्वारा दावा - कानूनी वारिस / नामांकित व्यक्ति खाता धारक के मृत्यु प्रमाण पत्र और अन्य संबंधित कानूनी दस्तावेज़ों के साथ उपस्थित हो सकता है। इसी उद्देश्य के लिए मृत व्यक्ति के दावे से संबंधित दिशानिर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा।

बैंक ग्राहक/जमाकर्ता को ब्याज सहित, यदि लागू हो, भुगतान करेगा, और जमाकर्ता को भुगतान की गई राशि की समान राशि के लिए फ़ंड से दावा प्रपत्र रिफ़ंड का दावा करेगा। ग्राहक नवीनतम केवाईसी विवरण (फ़ोटो युक्त सीआईएफ़, पहचान प्रमाण और पते का प्रमाण) के साथ मुख्य शाखा में जा सकते हैं और खाते को फिर से चालू करने का अनुरोध कर सकते हैं।

17. अन्य बैंकिंग सेवाएं

17.1 ***भुगतान रोके जाने की सुविधा-*** बैंक जमाकर्ताओं द्वारा उनके द्वारा जारी किए गए चेक के संबंध में भुगतान पर रोक लगाने संबंधी निर्देशों को स्वीकार करेगा। निर्धारित शुल्क लागू होंगे।

18. खातों को बंद करना

18.1 खातों को जमाकर्ता के लिखित अनुरोध पर बंद किया जा सकता है। संयुक्त खातों को केवल ऐसे सभी संयुक्त हस्ताक्षरकर्ताओं के अनुरोध पर ही बंद किया जा सकता है।

18.2 बैंक के पास उचित सूचना देकर किसी चालू, बचत या किसी भी मांग जमा खाते को बंद करने का अधिकार है।

19. अन्य आवश्यक जानकारी-

19.1 ***ग्राहक के हितों को सुरक्षित रखना-*** बैंक, ग्राहक द्वारा खाता खोले जाते समय दी गई जानकारी का महत्त्व समझता है।

बैंक, ग्राहक की जानकारी में लाए बिना इस जानकारी का उपयोग बैंक की सेवाओं या उत्पादों के विक्रय के लिए नहीं करेगा। यदि बैंक ऐसी जानकारी के उपयोग का प्रस्ताव देता है तो यह पूरी तरह से खाता धारक की सहमति से ही होगा।

बैंक ग्राहक से व्यक्त या निहित सहमति प्राप्त किए बिना किसी तीसरे व्यक्ति या पक्ष को ग्राहक के खाते की जानकारी प्रदान नहीं करेगा। हालांकि, इसके कुछ अपवाद हैं, जैसे कानूनी बाध्यता के अंतर्गत जानकारी प्रदान करना, जहां जनता के प्रति खुलासे का कर्तव्य हो और जहां बैंक के हित के लिए प्रकटन आवश्यक हो।

19.2 ***जमा राशि के लिए बीमा कवर-*** सभी बैंक जमा कुछ निश्चित सीमाओं और शर्तों के अधीन रहते हुए डिपॉज़िट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ़ इंडिया (डीआईसीजीसी) द्वारा प्रदान की जाने वाली बीमा योजना के अंतर्गत आते हैं। लागू बीमा कवर का विवरण जमाकर्ता को उपलब्ध करवाया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए, ग्राहक www.dicgc.org.in.पर लॉगऑन कर सकते हैं।

19.3 ***ग्राहक द्वारा जानकारी प्रदान करने में असफलता–*** वर्तमान ग्राहक द्वारा बैंक द्वारा वैधानिक दायित्व पूरे करने के लिए अपेक्षित जानकारी प्रदान करने में असफलता भी, ग्राहक को उचित सूचना (सूचनाएं) उपलब्ध कराने के बाद, खाते को बंद करने का कारण बन सकती है।

19.4 ***परिवादों और शिकायतों का निवारण–*** वे ग्राहक जो अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं या अपनी शिकायत दर्ज करवाना चाहते हैं, बैंक में उपलब्ध निम्नलिखित माध्यमों का उपयोग कर सकते हैं:

- ग्राहक सेवा से संपर्क करना
- ईमेल लिखना
- डिजीबैंक मोबाइल प्लेटफ़ॉर्म पर उपलब्ध वर्चुअल सहायक
- सोमवार से शनिवार कार्य अवधि के दौरान- हमारी शाखा में आएं। आरबीआई के निर्देशानुसार शाखा रविवार और बैंक अवकाश के अलावा; दूसरे और चौथे शनिवार को बंद रहेगी।

अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं।

किसी भी समय, यदि ग्राहक को लगता है कि हमारी सेवाएं उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं हैं, वे बैंक की विस्तृत शिकायत नीति के लिए नीचे दिए गए लिंक पर जा सकते हैं। https://www.dbs.com/in/treasures/common/redressal-of-complaints-and-grievances.page

19.5 ***अप्रयुक्त खाते-*** आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, ग्राहक द्वारा किए गए अंतिम लेन-देन की तारीख के 12 माह बाद खाते को "अप्रयुक्त" घोषित किया जा सकता है, भले ही खाते में जमा राशि कितनी भी हो। खाते की परिचालन स्थिति के बावजूद इन खातों पर देय ब्याज नियमित रूप से जमा किया जाता है।

19.6 ***निष्क्रिय खाते-*** आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, ग्राहक द्वारा किए गए अंतिम लेन-देन की तारीख के 24 माह बाद खाते को "निष्क्रिय" घोषित किया जा सकता है, भले ही खाते में जमा राशि कितनी भी हो।खाते की परिचालन स्थिति के बावजूद इन खातों पर देय ब्याज नियमित रूप से जमा किया जाता है। बैंक के पास, निवासी और गैर-निवासी दोनों ही प्रकार के ग्राहकों के लिए निष्क्रिय खातों को सक्रिय करने के लिए एक निर्धारित प्रक्रिया है। ऐसे ग्राहक जिनके बैंक में एक से अधिक खाते हैं जिनमें से एक या इससे अधिक खाते निष्क्रिय हैं और कम से कम एक खाता सक्रिय है, उचित सत्यापन और नियंत्रण के साथ उचित तत्पर प्रक्रिया को सरलीकृत किया जाता है। ग्राहक की जोखिम श्रेणी के अनुसार उचित तत्परता के बाद ऐसे खातों के संचालन की अनुमति दी जा सकती है। उचित तत्परता का अर्थ होगा लेन-देन की वास्तविकता, हस्ताक्षर का सत्यापन और पहचान सुनिश्चित करना आदि।

19.7 ***अप्रत्याशित घटना-*** अप्रत्याशित घटना का अर्थ है दैवीय घटनाएं, बाढ़, सूखा, भूकंप या अन्य प्राकृतिक आपदा या स्थिति, आपदा, महामारी या वैश्विक महामारी, आतंकी हमला, युद्ध या दंगे, आण्विक, रासायनिक या जैविक विषाक्तता, औद्योगिक कार्यवाही, बिजली कटौती, कंप्यूटर खराब हो जाना या जानबूझकर कर दिया जाना और भवन का गिरना, आग, विस्फ़ोट या दुर्घटना या अन्य ऐसी घटनाएं जो बैंक के नियंत्रण से बाहर हों।

बैंक अपने दायित्वों का निर्वहन तब तक नहीं कर पाएगा जब तक अप्रत्याशित घटना या परिस्थिति दायित्वों के निर्वहन को असंभव बना देती है। सर्वोत्तम प्रयासों के साथ बैंक अप्रत्याशित घटना के प्रभावों को कम करने के लिए उचित कार्यवाही करने के लिए प्रतिबद्ध है। किसी भी औद्योगिक कार्यवाही, बिजली कटौती, कंप्यूटर खराब हो जाना या जानबूझकर कर दिए जाने पर, बैंक अपनी सेवाओं में होने वाली देरी को कम करने के लिए उचित कदम उठाएगा और अपने ग्राहकों को निर्बाध सेवाएं प्रदान करने का प्रयास करेगा।

परिशिष्ट1 शब्दावली

[यूनिट की शब्दावली के लिए लिंक जिसमें सभी शब्दों, परिवर्णी शब्दों और संक्षिप्त शब्दों की परिभाषाएं दी गई हैं जिनकी आवश्यकता यूनिट के आदेशों, नीतियों और मानकों को समझने के लिए पड़ सकती है]

जीओआई - भारत सरकार
डीबीएल- डीबीएस बैंक लिमिटेड
डीबीआईएल – डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड
डब्ल्यूओएस- पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी
एएलसीओ- परिसंपत्ति देयता समिति
डीबीटी- प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण
पीएएन- स्थाई खता संख्या
केवाईसी- अपने ग्राहक को जानें
एफ़सीएनआर जमाराशि- विदेशी मुद्रा गैर-प्रत्यावर्तनीय खाता जमाराशि
एनआरई- अनिवासी रुपया खाता
एनआरओ- अनिवासी साधारण रुपया खाता
पीआईओ/ओसीआई- भारतीय मूल का व्यक्ति/ भारत का प्रवासी नागरिक
पीओआई/पीओए- पहचान प्रमाण/ पते का प्रमाण
सीईआरएसएआई- सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया
सीकेवाईसीआर- केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री
पीआईडी – व्यक्तिगत जानकारी का विवरण